W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 4904/2012/ जिला बीकानेर

नूर मोहम्मद पुत्र श्यामूखां उर्फ समसुदीन जाति मुसलमान निवासी जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।

.....**प्रार्थी**

बनाम

1— मु0 विलायती पत्नि सवाई खां
2— मु0 भांगू पुत्री सवाई खां पत्नि समीर खां
3— मु0 सलाम पुत्री सवाई खां पत्नि राजू खां
4— मु0 रहीसा पुत्री सवाई खां
समस्त जाति मुसलमान निवासी गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।
6— हनीफ खां पुत्र रमजान खां
7— शरीफ खां पुत्र रमजान खां
8— रमजान खां पुत्र सुमरे खां
समस्त जाति मुसलमान निवासी जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।

.....**अप्रार्थीगण**

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितः

श्री जे.के.पुरोहित एवं श्री के. के. पुरोहित, अभिभाषकगण प्रार्थी।
श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—1 से 3।

निर्णय

दिनांकः— 11/09/2013

1— यह निगरानी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर (अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 74/2012 में पारित निर्णय दिनांक 08—06—2012 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर (परीक्षण न्यायालय) में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 23—05—2012 को डिक्री किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 23–05–2012 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गई। अपील के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 5 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना को स्थगित रखते हुये मौके व अभिलेख की यथा स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 8–06–2012 द्वारा प्रार्थी का आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र इस अभिमत के साथ खारिज कर दिया कि अपीलार्थी/वर्तमान प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन डिक्री की पालना स्थगित कराने के साथ मौके व अभिलेख की यथास्थिति का अनुतोष चाहा है और इस प्रकार दो भिन्न भिन्न विषयवस्तु का अनुतोष चाहा गया है, जो राजस्व न्यायालय मैनुअल पार्ट–II के नियम 17 से बाधित है। अपीलार्थी को अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, जो प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी का आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08–06–2012 से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष डिक्री की पालना स्थगित करने के लिये आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जो नियमानुसार सही था, क्यों कि डिक्री की पालना की कार्यवाहीं रोकने के लिये आदेश 41 नियम 5 के तहत ही कार्यवाही होती है। किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह अंकित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से निर्णय एवं डिक्री की पालना स्थगित रखते हुये विवादित भूमि के मौके व अभिलेख की यथास्थिति का अनुतोष चाहा, जो दो भिन्न भिन्न विषय वस्तु का अनुतोष है। अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना रोकने के लिये अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और साथ में अभिलेख और मौका की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया जो उक्त आदेश 41 नियम 5 की परीधि में आता है। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने कानून के प्रावधानों को समझे बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा धारा 212 अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के गैर कानूनी एव क्षेत्राधिकार से परे निर्देश प्रदान कर दिये। इस प्रकार अपीलीय

न्यायालय ने क्षेत्रधिकार का गलत रुप से व विधिक प्रावधानों के विपरीत उपयोग करते हुये आदेश 41 नियम 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इसके अतिरिक्त यदि अपीलीय न्यायालय की नजर में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत था तो धारा 212 अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा तक परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित करने का आदेश दिया जा सकता था। अतः निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 41 नियम 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युवल पार्ट द्वितीय नियम 17 के तहत बाधित होने से अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। जब तक आलोच्य आदेश में भयंकर विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो, निगरानी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—06—2012 की पालना में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थनापत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, अतः उक्त आदेश दिनांक 08—06—2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत निगरानी निष्फल हो चुकी है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश दिनांक 08—06—2012 का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7— आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने मात्र इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया है कि उसमें अपीलाधीन डिक्री के क्रियान्वयन को स्थगित कराने के साथ विवादित भूमि के मौका व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष भी चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को राजस्व न्यायालय मैनुअल पार्ट—II के नियम 17 से बाधित मान कर खारिज किया है। उक्त नियम 17 निम्न प्रकार हैः—

> *"**17. Separate applications for distinct subject matter**.- Separate applications shall be made in regard to distinct subject matters. No application containing argumentative*

matter, for example quotations and discussion of the effect of Section of Acts or of certain rulings of the High Court or the Board shall be placed on record. They shall be returned to the applicants without any order except an endorsement that the application is returned."

उपरोक्त नियम 17 के दो भाग है। प्रथम वाक्य "distinct subject matters" से सम्बन्धित प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में है और दूसरा भाग बहस के दौरान तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत कोटेशन्स, न्याय दृष्टान्त आदि प्रस्तुत करने वाले प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में है। हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम 17 के प्रथम भाग पर ही चर्चा करना पर्याप्त है जिसमें प्रावधान है कि "distinct subject matters" के लिये अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जावेंगे। उक्त नियम की विधिक भावना को समझने के लिये शब्द "distinct" के अर्थ व प्रभाव को समझना आवश्यक है।

8— लगभग सभी शब्द–कोषों में 'distinct' 'distinctive' आदि शब्दों को ''भिन्नता'' और ''स्पष्टता'' के अर्थों मे प्रयोग किया गया है। शब्द 'distinct' के समानार्थी (synonyms) शब्दों के रुप में 'discrete, separate, several, not alike, different, sharp, recognizable, precise, clear, apparent, definite, explicit, unequivocal, unmistakable' आदि शब्द काम में लिये जाते हैं। उक्त शब्द 'distinct' से बनने वाले अन्य शब्द 'distinction, distinctive, distintiveness, distinguishable, distinctly' आदि हैं। इन समानार्थी शब्दों व बनने वाले शब्दों से यह स्पष्ट है कि शब्द 'distinct' का उपयोग एक तरफ जहां 'भिन्नता या अन्तर' को स्पष्ट करने के लिये किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ 'स्पष्टता, निश्चितता, त्रुटिविहीनता, श्रेष्ठता' आदि को स्पष्ट करने के लिये भी किया जाता है। राजस्व न्यायालय मेनुअल पार्ट–ाा के नियम 17 में इस शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में किया गया है, उसका सम्बन्ध भिन्नता या अन्तर से है। अतः विभिन्न शब्दकोषों/ विश्वकोषों में की गयी शब्द व्याख्या के आधार पर यह देखना आवश्यक है कि शब्द 'distinct' का उपयोग किस स्तर (scale or degree) की भिन्नता के लिये किया जाता है।

(1) विधिक शब्दावली में 'distinct' शब्द का अर्थ ''सुभिन्न'' और ''सुस्पष्ट'' दिया गया है।

(2) Wikipedia (online Encyclopedia) में इस शब्द को इस प्रकार स्पष्ट किया हैः— "Two or more things are distinct if no two of them are the same thing."

(3) Longman Dictionary of Contemporary English में शब्द distinct को "clearly different or belonging to a different type" के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

(4) Merriam-Webster's online dictionary (An Encyclopedia Britannica Company) में शब्द distinct की व्याख्या "distinguishable to the eye or mind as discrete or separate" के रुप में की गयी है। इन तीनों शब्दों को समानार्थी मान कर इन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

(A) *DISTINCT* indicates that something is distinguished by the mind or eye as being apart or different from others.

(B) *SEPARATE* often stresses lack of connection or a difference in identity between two things.

(C) *DISCRETE* strongly emphasizes individuality and lack of connection.

शब्द 'distinct' की परिभाषा व अर्थ को स्पष्ट करने के लिये उपरोक्तानुसार विभिन्न शब्दकोषों/ विश्वकोषों में जिस प्रकार 'सुभिन्न', 'no two of them are the same' 'clearly different' 'different type' 'discrete' 'separate' आदि शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि 'distinct' शब्द का प्रयोग दो ऐसे विषय–वस्तुओं में अन्तर करने के लिये किया जाता है जो स्पष्ट रुप से भिन्न भिन्न प्रकृति के और एक दूसरे से असंगत (inconsistent) हों। राजस्व न्यायालय मैनुअल पार्ट–II के नियम 17 में भी 'distinct subject matters' शब्दावली के प्रयोग का प्रभाव यही है कि भिन्न व असंगत प्रकृति के दो अलग अलग विषय–वस्तुओं अथवा अनुतोषों के लिये एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक ही प्रकृति की दो अनुतोषों के लिये भी अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जावें। जब चाहे गये दोनों अनुतोष की सारभूत प्रकृति एक ही हो और एक मुख्य अनुतोष तथा दूसरी अनुसंगी या अनुपूरक अनुतोष (main and ancillary or supplementary relief) हों तो एक ही प्रार्थनापत्र से दोनों के लिये अनुरोध किया जा सकता है।

9– विधि की स्थिति स्पष्ट है कि किसी डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील के निर्णय तक अपीलाधीन डिक्री के क्रियान्वयन को रुकवाने के लिये आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/ वर्तमान प्रार्थी द्वारा दिनांक 04–06–2012 को जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें मुख्यतः यह अनुतोष चाहा गया था कि ताफैसला अपील अपीलाधीन आदेश की पालना को स्थगति रखा जावे। साथ में यह भी अनुतोष चाहा गया था कि भूमि के मौके व अभिलेख की स्थिति को यथावत रखा जावे। इस प्रकार उक्त प्रार्थनापत्र में यथास्थिति का अनुतोष अनुसंगी या पूरक अनुतोष (ancillary or supplementary relief) था, मुख्य अनुतोष अपीलाधीन डिक्री की पालना को स्थगित कराने का ही था। इस कारण अपीलार्थी/ वर्तमान प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 04–06–2012 राजस्व न्यायालय मैनुअल पार्ट–II के नियम 17 से

बाधित नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित है।

10— इसके अलावा मेरा यह भी स्पष्ट मत है कि **न्यायालयों का कार्य वादरत पक्षकारान को सारभूत न्याय प्रदान करना है न कि तकनीकी आधारों पर न्याय के द्वरवाजे बन्द करना।** हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थनापत्र अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसके सम्बन्ध में यदि अपीलीय न्यायालय का मत यह था कि उसमें परस्पर असंगत या भिन्न प्रकृति के दो अनुतोष चाहे गये हैं तो भी प्रार्थनापत्र को पूर्णतः खारिज करना न्याय प्रदान करने से इन्कार करने के समान है। अगर तर्क के लिये यह मान लिया जावे कि दो भिन्न भिन्न विषयवस्तु से सम्बन्धित अनुतोष चाहे गये थे तो न्यायालय को आदेश 41 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपीलाधीन डिक्री की पालना को स्थगित करने के बिन्दु पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिये था, केवल तकनीकी आधार पर प्रार्थनापत्र को पूर्णतः खारिज करना क्षेत्राधिकार के उपयोग सम्बन्धी त्रुटि है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का आलोच्य आदेश विधिसम्मत् नहीं है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का आदेश दिनांक 8—6—2012 निरस्त किये जाने योग्य है।

11— परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का आदेश दिनांक 08—06—2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र दिनांक 04—06—2012 के संबंध में उभय पक्ष की पूर्ण सुनवाई के पश्चात इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत की रोशनी में गुणावगुण पर पर शीध्र विधिसम्मत निर्णय पारित करें। तब तक विवादित भूमि के मौके एवं अभिलेख की वर्तमान स्थिति यथावत कायम रखी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य